कार्यालय कलेक्टर एंव भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0

क्रमांक/भू–अर्जन/आसन बैराज/2018 मुरैना दिनांक 07.06.2018

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभाग–मुरैना।

विषयः– अवार्ड पारित प्रकरण ग्राम– बांमोर कलां तहसील मुरैना मे रेल परियोजना छोटी लाइन से बडी लाइन मे अमान परिवर्तन हेत अर्जित भूमिके संबंध मे प्रभावित व्यक्तियों के बैकखाते, आई.एफ. सी. कोड न0, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आदि की जानकारी भेजने वावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी ओर से रेल्वे परियोजना अन्तर्गत उप मुख्य निर्माण अभियंता उत्तार मध्य रेल्वे ग्वालियर के प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम– बांमोर कलां तहसील मुरैना मे छोटी लाइन से बडी लाइन मे अमान हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध मे दिनांक 04.06.2018 को अधिनिर्णय पारित किया जा चुका है।

1– उपरोक्त ग्राम का आपकी ओर से प्राप्त मूल प्रकरण एंव उक्त प्रकरणों मे पारित अधिनिर्णय, गणना पत्रक पार्ट ए ओर बी की प्रति आपकी ओर भेजकर लेख हे कि गणना पत्रक अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खातों, आई.एफ.सी. कोड न0, बेंक पासबुक की छायाप्रति, आधारकार्ड आदि की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि मुआवजा राशि वितरण की कार्यवाही की जा सकें। भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत आवार्ड दिनांक से 03 मांह तक मुआवजा वितरण किया जाना आवश्यक हें। नियत अवधि का विशेष घ्यान रखा जावे।

2– उपरोक्त ग्राम मे पारित अधिनिर्णय तथा गणना पत्रक अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को हितग्राहीवार व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी कर संबंधित को तामील उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

3– उपरोक्त ग्राम मे रेल परियोजना हेतु अधिग्रहित्त की गई भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को दिलाये जाने की कार्यवाही की जावें। कब्जा प्राप्ति रसीद की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

संलग्न– ग्राम–बामोंर कलां तहसील मुरैना ,का मूल प्रकरण एंव पारित अधिनिर्णय तथा गणना पत्रक पार्ट ए एंव बी

प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन
जिला मुरैना म0प्र0

प्रतिलिपि–

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एंव भू अर्जन अधिकारी मुरैना जिला मुरैना

प्र0क0 05/16–17/अ 82

उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण)

उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर .आवेदक

बनाम

प्रकाश करन सिंह पुत्र मवासिया आदि.....
.........अनावेदक

अधिनिर्णय (पारित दिनांक 04.06.2018)

आवेदक उपमुख्य इन्जीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर द्वारा ग्वालियर श्योपुरकलाँ छोटी लाइन से बडी लाइन मे अमान परिवर्तन के अंतर्गत ग्राम बामौरकलां की अशासकीय भूमि के आपातिक स्थाई अर्जन वावत् प्रस्ताव पत्र दिनांक 16.01.17 से प्रस्तुत कर ग्राम की अधोलिखित भूमि अर्जित किये जाने का अनुरोध किया गया है :–

क्र	सर्वे न.	रकवा
1	621 मिन.1, 621 मिन 2	0.130
2	622	0.124
3	624	0.066
4	625	0.075
5	626	0.040
6	629	0.053
7	631	0.007
8	633/1	0.057
	633/2	0.074
9	632	0.065
10	644	0.013
11	645	0.032
12	646	0.038
13	647	0.002
14	263	0.125
15	264/मिन 1	0.063
	264/मिन 2	0.052
16	265	0.219

17	266	0.125
18	267	0.145
19	268	0.224
20	269	0.195
21	270	0.303
22	271	0.146
23	272	0.230
24	282	0.165
25	237	0.036
26	238	0.039
27	239	0.084
28	240	0.141
29	241	0.196
30	242	0.005
31	273	0.167
32	274	0.114
33	275	0.115
34	277	0.240
35	280	0.010
36	281	0.293
37	278	0.157
38	292 293	0.007
39	294	0.282
40	295	0.008
41	226	0.025
42	225	0.052
43	224	0.063
44	220/मि 1	0.063
	220/मि 2	0.063
45	218	0.502
46	311/मि	0.105
	311/मि	0.063
47	312	0.073
48	320	0.160
49	319	0.038
50	318	0.021

51	317/मिन 1	0.125
	317/मिन 2	0.063
	317/मिन 3	0.073
52	323	0.064
53	324	0.048
54	325	0.042
55	315/मिन 1	0.073
	315/मिन 2	0.042
	315/मिन 3	0.031
56	316	0.084
57	216	0.019
58	183	0.103
59	181	0.105
60	180	0.101
61	179	0.230
62	178	0.209
63	177/मिन 1	0.078
	177/मिन 2	0.028
64	176	0.222
65	175	0.157
66	174	0.753
67	173	0.658
68	172	0.009
69	171/मिन 1	0.095
	171/मिन 2	0.481
70	170 मिन. 1	0.313
	170 मिन. 2	0.285
	170 मिन. 3	0.296
	170 मिन. 4	0.282
	170 मिन. 5	0.334
71	168	0.508
72	165	0.437
73	163	0.048
74	159	0.461
75	313	0.021
76	652/मिन 1	0.031
77	259	0.010

78	236	0.003
79	223	0.042
कुल किता	79	**12.854**

उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे आगे भू अर्जन अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 40 के तहत अत्यावश्यकता की दशा को उदघोषित करते हुए धारा 11 के तहत प्रारम्भिक प्रकाशन दिनांक 07.07.2017 को जारी किया गया जो म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 28.07.17 के पृष्ठ कमांक 4572 से 4579 मे प्रकाशित हुआ दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 14.07.17 एवं पीपुल्स समाचार में दिनांक 14.07.17 को प्रकाशित किया गया कार्यालय उप तहसील बामौर मे दिनांक 08.07.17 कार्यालय नगर परिषद बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 08.07.17 कार्यालय भू–अर्जन अधिकारी मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 09.07.17 कार्यालय उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 10.07.17 को चस्पा की गई नियत अवधि मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई।

3. भू अर्जन अधिनियम की धारा 40 के तहत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा होने से अध्याय 2 से अध्याय 6 के उपवन्ध लागू नही होते है। अतः धारा 19 की तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई।

4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एंव भू अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र दिनांक 07.10.17 से जारी हुथी जो म.प्र. राजपत्र मे दिनांक 27.10.17 को राजपत्र के प्रष्ठ कमांक 5541 से 5551 पर प्रकाशित हुआ। उदय देश प्रेस समाचार पत्र में दिनांक 14.10.17 को एंव स्वदेष समाचार पत्र मे दिनांक 15.10.17 को प्रकाशित किया गया। कार्यालय नगर परिषद बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 08.10.17 को उप तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 08.10.17 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना 09.10.17 कार्यालय कलेक्टर मुरैना 09.10.17 कार्यालय उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 10.10.17 चस्पा कर प्रकाशित की गई।

5. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 8.12.17 को जारी किया गया कलेक्टर मुरैना के पोर्टल पर दिनांक 08.12.17 को अपलोड किया गया जिसमे दिनांक 07.01.2018 तक हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां प्रस्तुत करने को समय दिया गया । कार्यालय नगर परिषद बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 11.12.17 को उप तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 11.12.17 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना 11.12.17 कार्यालय कलेक्टर मुरैना 12.12.17 कार्यालय उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 12.12.17 चस्पा कर प्रकाशित की गई।

6. भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 (2) के तहत भूमि स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 11.12.17 से जारी किये गये हितबद्ध पक्षकारो से दिनांक 09.01.18 तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आहूत किया गया नियत अवधि मे निम्नलिखित आपत्तियां प्राप्त प्रस्तुत हुई :–

1. संजीव पिवहरे पुत्र ल्होरेलाल पिवहरे निवासी बामौरकला द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कि है कि रेल परियोजना हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि ग्राम बामौरकला में राजस्व अभिलेख में ल्होरे पुत्रः मिहीलाल हम प्रार्थीगणों के पिता थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। परन्तु राजस्व अभिलेख में उनके वैद्य वारिसानों के नाम अंकित नही है। जिसके कारण मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई होगी। आपत्तिकर्ता की आपत्ति के संबंध में मौजा पटवारी द्वारा मृतक ल्होरेलाल पुत्र मिहीलाल के स्थान पर वारिसान शांतीदेवी पत्नी ल्होरेलाल संजीव, हरिओम, हेमन्त पुत्र ल्होरेलाल, सुनीता, ममता, रजनी, आरती, अनीता, रानी, पुत्रियां ल्होरेलाल के नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण होना बताया गया आपत्ति स्वीकार की जाती है। वारिसान के नाम अभिलेख अनुसार अधिनिर्णय मे प्रविष्टि कर अधिनिर्णय पारित किया जा रहा है।
2. दौलतराम पुत्र सूरजभान, दीपक पुत्र चन्द्रभान आदि निवासी बामौर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है कि व्यपवर्तित भूमि का भुगतान व्यपवर्तित दरों के मान से भुगतान करने तथा शेष भूमि पर जाने के लिए रेल्वे लाइन के नीचे से पुलिया बनाने का अनुरोध किया है। परीक्षण किया गया व्यपवर्तित भूमि का व्यपवर्तन मान से भुगतान की आपत्ति स्वीकार की जाती है। शेष भूमि में जाने के लिए मार्ग की आवष्यकता होने से रेल्वे के अधिकारियों से चर्चा की गयी है। तकनीकी परीक्षण कर रास्ते के संबध में कार्यवाही की जा रही है।
3. ऊषा देवी पत्नि पिवनारायण द्वारा आपत्ति पेष की गयी है कि कृषि भूमि में 600 व.फीट का कमरा बना है 400 फुट गहरा बोर है। राजमार्ग से भूमि लगी होने से प्रतिकर तदानुसार दिया जाये। परिसम्पत्तियों का आंकलन किया गया है एवं राषि अवार्ड में सम्मिलित की गयी है प्रभावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न न होने से गाइडलाइन अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
4. दिनांक 21.05.2018 को मुरारीलाल, राधेष्याम, शम्भूदयाल पुत्रगण रामस्वरूप निवासी बामौरकलॉ द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि, उनकी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 237 रकवा 0.094 है. में से 0.036 है. रकवा का नोटिस प्राप्त हुआ है जबकि मौके पर 0.066 है. चिन्हित किया गया है। अतः वास्तवित मौके पर अर्जित की जा रही भूमि का परीक्षण कर परितोषण दिये जाने का लेख किया है। नायब तहसीलदार बामौर से प्रतिवेदन लिया गया जिसमें उक्त सर्वे नम्बर 237 में से 0.066 है. रकवा रेल्वे विभाग की सहमति के आधार पर और स्थल पर चिन्हित की गयी भूमि के आधार पर परितोषण दिये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया आपत्ति स्वीकार की जाती है।
5. उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) ग्वालियर द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.12.2017 में लेख किया है कि सर्वे नम्बर 267 ग्राम बामौरकलॉ का 0.145 हैक्टेयर अर्जन हेतु प्रस्तावित किया गया था। वास्तवित रूप से सर्वे नम्बर 267 का संपूर्ण रकवा 0.146 हैक्टेयर की आवष्यकता है। अतः सम्पूर्ण रकवा 0.146 हैक्टेयर अर्जित किया जाये।

7. अधिनियम की धारा 26 के तहत बाजार दर का निर्धारण किये जाने के लिए धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 28.07.17 के पूर्ववर्ती 3 वर्ष के वास्तविक विक्रय पत्र एंव चालू गाइडलाइन की जानकारी ली गई गाईड लाइन वर्ष 2017–18 की दर अधिक होने से नगर परिषद सीमा के बाहर ए.बी. रोड से हटकर सिंचित एंव असिंचित कृषि भूमि की दर 10000000 रूपये प्रति हे., नगर परिषद सीमा के बाहर ए.बी. रोड से हटकर व्यवसायिक भूमि 5000 रूपये प्रति वर्ग मीटर, नगर परिषद सीमा के भीतर ए.बी. रोड से हटकर सिंचित एंव असिंचित भूमि की दर 15000000 रूपये प्रति हे., नगर परिषद सीमा के बाहर ए.बी. रोड से हटकर व्यवसायिक भूमि 6500 रूपये प्रति वर्ग मीटर, निर्धारित की गई।

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम जैतपुर नूराबाद की भूमि अर्जित किया जाकर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है :–

1. अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन अ. सिंचित एंव असिंचित कृषि भूमि नगर परिषद सीमा के बाहर ए.बी.रोड से हटकर भूमि 7.190 हे0 की रूपये 10000000 प्रति हेक्टर की दर से मूल्यांकित राशि	7,19,00,000/–
ब. व्यवसायिक भूमि नगर परिषद सीमा के बाहर ए.बी.रोड से हटकर भूमि 0.182 हे0 की रूपये 50000000/– प्रति हेक्टेयर की दर से मूल्यांकित राशि	91,00,000/–
स. सिंचित एंव असिंचित कृषि भूमि नगर परिषद सीमा के भीतर ए.बी.रोड से हटकर भूमि 5.180 हे0 की रूपये 15000000 प्रति हेक्टर की दर से मूल्यांकित राशि	7,77,00,000/–
द. व्यवसायिक भूमि नगर परिषद सीमा के भीतर ए.बी.रोड से हटकर भूमि 0.333 हे0 की रूपये 65000000/– प्रति हैक्टेयर की दर से मूल्यांकित राशि	2,16,45000/–
भूमि की कुल राशि	18,03,45,000/–
2. परिसम्पत्ति :–	
स. कुआ/बोर/ट्यूबवेल	1,84,000/–
द. निर्माण भूमि बाउन्ड्री	26,33,200/–
ई. वृक्ष आदि	1,09,890/–
वृक्ष और परिसम्पत्तियों की कुल राशि	29,27,090/–
बिन्दु कमांक (1) व (2) की कुल राशी	18,32,72,090/–

शासन के परिपत्र के दिनांक 29.09.14 अनुसार गुणांक 01

3. भू अर्जन अधिनियम की धारा 30 (3) के तहत संगणित राशि (धारा 11 के प्रकाषन दिनांक 07.07.17 से अवार्ड दिनांक 04.06.18 तक 333 दिवस के लिए) 2,00,64,528/-
4. भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30(1)के तहत तोषण राशि 18,32,72,090/-

---

कुल राशि	38,66,08,708/-
प्रशासनिक शुल्क 5%	1,93,30,435/-
कुल अवार्ड राशि	40,59,39,143/-

(राशि अक्षरी चालीस करोड़ उनसठ लाख उनतालिस हजार एक सौ तैतालिस)

नोट– व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि पृथक से परिषिष्ट A एंव B सलंग्न है जो अधिनियम का हिस्सा होगा ।

भू अर्जन आधिकारी
जिला मुरैना

06/06/18
कलेक्टर
जिला मुरैना